प्रकरण संख्या 32/2019 GCMS ID-2019/00018 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

नंदकिशोर पुत्र श्री भोलाराम जाति सुनार निवासी नरायणा, तहसील मासलपुर जिला करौली राज.
– अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.08.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 3–08 बीघा ग्राम नरायणा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 3–08 बीघा ग्राम नरायणा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 06.04.1970 किस्म बारानी दोयम से श्री नंदकिशोर पुत्र श्री भोलाराम जाति सुनार निवासी नरायणा के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में नंदकिशोर पुत्र श्री भोलाराम जाति सुनार निवासी नरायणा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 3–08 बीघा बाके ग्राम नरायणा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2073–76, नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 06.04.1970 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश करते हुए निवेदन किया है कि रेफरेन्स का मद नं. 1 जिस तौर पर दर्ज है, में खसरा नं. 82 रकबा 3–08 बीघा किस्म गै.मु. नाला का ग्राम नरायणा तहसील मासलपुर में होना स्वीकार है बकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है, गलत है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार पचासों वर्ष पूर्व से है और काबिज काश्त है। रेफरेन्स का मद नं. 2 जिस तौर पर दर्ज है, में खसरा नं. 82 रकबा 3–08 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर संवत् 2015 में नाल भूमि गलत तौर पर दर्ज है जो स्वीकार नहीं है। बकिया इबारत भी गलत है, स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी संवत् 2015 से पूर्व नाला भूमि नहीं रही है बल्कि उक्त इबारत में फसल काश्त होती है और कृषि भूमि है। उक्त आराजी कभी भा नाला भूमि के रूप में उपयोग उपभोग में नहीं रही है ना अब आ रही है। मौके पर कोई नाला भूमि नही है बल्कि काबिल काश्त भूमि है जो अप्रार्थी को आवंटित खातेदारी भूमि है जिसके संवत् 2015 वक्त सैटलमेण्ट में नाला भूमि के गलत इन्द्राज हुए हैं। संवत् 2015 से पूर्व का नाला भूमि होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी लैण्डहोल्डर तहसीलदार मासलपुर द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेफरेन्स का मद नं. 3 जिस तौर पर दर्ज है गलत है, स्वीकार नहीं है। स्वयं प्रार्थी लैण्ड होल्डर की अभिशंषा पर भूमि अप्रार्थी को आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटित की गई है जिसे काफी लम्बा अर्सा हो चुका है। भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त [illegible] 15.10.19[illegible] से ही है। धारा 16 आर.टी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:41:41 IST
Reason: SelfAttested

एक्ट के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। दिनांक 15.10.1955 या सन् 1947 का कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी लैण्डहोल्डर द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवंटन विधिवत् है जिसे निरस्त कराने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अपने एक्ट अपोन से स्टोप्ड है। रेफरेन्स का मद नं. 4 जिस तौर पर दर्ज है, गलत है, स्वीकार नहीं है। इस मद में दर्ज प्रकरण मं दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकॉर्ड रिटकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर यह निर्णय पारित हुआ था जबकि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.08.1947 का कोई राजस्व रिकॉर्ड रेफरेन्स के साथ पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि भूमि दिनांक 15.08.1947 को नाला भूमि थी। इस स्थिति में भी रेफरेन्स प्रार्थी विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेन्स का मद नं. 5 बाबत् सहायता है। प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स के साथ दिनांक 15.08.1947 का राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने से भूमि नाला भूमि रही हो, साबित नहीं होने से एवं काफी लम्बे अर्से के बाद असाधारण देरी से रेफरेन्स प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। सबूत भार प्रार्थी पर है जिसे प्रार्थी साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। प्रार्थी द्वारा आवंटन को विधिवित् रूप से चुनौती नहीं दी है। इसलिये रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 3–08 बीघा गै. मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 06.04.1970 द्वारा नंदकिशोर पुत्र श्री भोलाराम जाति सुनार निवासी नरायणा के नाम जरिये आवंटन दर्ज की गई है। नकल जमाबन्दी सं0 2073 लगायत 2076 के अनुसार खसरा नंबर 82 किस्म बारानी 3 रकबा 3–08 बीघा नंदकिशोर पुत्र श्री भोलाराम जाति सुनार निवासी नरायणा के नाम अंकित है। संवत् 2015 से पूर्व उक्त भूमि गै.मु. नाला थी या नहीं, इस संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों द्वारा ही कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का आवंटन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नरायणा की आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 3–08 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:41:41 IST
Reason: SelfAttested